न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 609/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

.......वादी

बनाम

1. शम्भूराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
2. लूणाराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
3. हेतराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
4. किशनाराम पुत्र सावनाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
5. रूपाराम पुत्र मघाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
6. शम्भूराम पुत्र सावनाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
7. सावन्तराम पुत्र सावनाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
8. सावनाराम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
9. शिवजीराम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
10. बीझाराम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
11. रामस्वरूप पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
12. सोनाराम पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
13. देवाराम पुत्र लच्छुराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
14. बीझला पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
15. माहीराम पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
16. भोलाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
17. मूलाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
18. पिलाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
19. मनीराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
20. खेमली पत्नि पूर्णराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
21. पूर्णराम पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
22. शिवजीराम पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
23. हरीराम पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
24. सुखाराम पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
25. शान्तिदेवी पुत्री देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
26. तुलसीदेवी पुत्री देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
27. पार्वतीदेवी पत्नि हरीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
28. रमेशमकुमार पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
29. मानाराम पुत्र सोनाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
30. प्रहलाद पुत्र सोनाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
31. खेमली पत्नि पूर्णराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
32. रूपाराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
33. जसवन्तीदेवी पुत्री पूर्णराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
34. देवलीदेवी पत्नि हेतराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
35. अमरनाथ पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

36. रामप्रताप पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
37. परमेश्वरी देवी पुत्री देवाराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
38. सीतादेवी पत्नि गोपीराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर
39. राजेन्द्रकुमार पुत्र शम्भूराम जाति बावरी निवासी 23ओ तहसील श्रीकरनपुर

....प्रतिवादी

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : २१.१२.१८

1. प्रकरण के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक राजस्व अभिलेख चक 23 ओ की चालू जमाबन्दी सं. 2069 से 72 के खा.सं. 22/211 में खातेदारों का योग 9.155 हैक्ट. तथा खाते का योग 7.312 हैक्ट. है। इस प्रकार खातेदारों का योग खाते से 1.843 हैक्ट. अधिक है।

2. मिसल बन्दोबस्त के खाता सं. में मु.नं. 99, 109 की 28.18 बीघा भूमि नत्थू पुत्र लूणा 159 1/2 हि., किशना 45 1/2 हि. सांवत 147 हि. पि. शम्भू सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम 159 1/2 हि. धन्ना, देवा, माहिया, बिजला पि. लच्छू 12 1/2 हि., सोना पुत्र रुपा 60 हि. दर्ज है। इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त में खाते का योग 578 हि. तथा खातेदारों का योग 584 हि. है, जिससे खातेदारों का योग खाते से 06 हिस्सा (0.076) अधिक है।

3. मिसल बन्दोबस्त में सांवत किशना पि. शम्भू अंकित था जिसे गलती से सांवत किशना पि. सावना कर दिया गया जो योग्य दूरुस्ती है। **अतः सांवत किशना पि. सावना के स्थान पर सांवत किशना पि. शम्भू किया दुरूस्त किया जाना उचित है।**

4. ई.सं. 13 द्वारा सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम द्वारा अपने नाम से दर्ज 159 1/2 हिस्सा भूमि में से 130 हि. माहीराम पुत्र रुपाराम को तथा ई.सं. 56 द्वारा धन्ना, देवा, बिजला पि. लच्छू को 7 1/2 हि. भूमि विक्रय की गई थी व सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम के नाम से 22 हिस्सा भूमि शेष रहनी चाहिये थी। परन्तु गलती से सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम का नाम हटा दिया गया और इनके स्थान पर शम्भू पुत्र सावनाराम का नाम अंकित कर दिया गया जो कि गलत है। शम्भू पुत्र सावनाराम के 30 2/5 हिस्से के स्थान पर सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम 22 हिस्सा होना चाहिये। परन्तु मुताबिक मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का 23 ओ सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम 22 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है। **अतः सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम 22 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से कब्जा काश्तनुसार किया जाना उचित है।**

5. ई.सं. 43 द्वारा सांवत पुत्र शम्भू ने अपनी 147 हि. में से 120 हि. हिस्सा भूमि सरदारा राम 110 हि. व नानूराम 10 हि. को विक्रय कर दी परन्तु आगामी जमाबन्दीयों में सांवत पुत्र शम्भू के नाम 147 हि. दर्ज रह गई। इस प्रकार सांवत द्वारा 147 हिस्सा में से 120 हिस्सा भूमि विक्रय करने के बावजूद भी उसके नाम से 147 हिस्सा आज भी वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। सांवत पुत्र शम्भू के 147 हिस्से के स्थान पर 27 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। परन्तु मुताबिक मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का 23 ओ सांवत पुत्र शम्भू 27 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है। **अतः सांवत पुत्र शम्भू 27 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से कब्जा काश्तनुसार किया जाना उचित है।**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

स्टेट बनाम शम्भुराम आदि प्रकरण संख्या 609/2018
अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

6. ई.सं. 43 द्वारा किशना ने अपनी 45 1/2 हि. में से 20 हि. भूमि सरदारा राम 10 हि. व नानूराम 10 हि. को विक्रय कर दी परन्तु आगामी जमाबन्दीयों में किशना के नाम 45 1/2 हि. दर्ज रह गई। किशना द्वारा जरिये इन्तकाल सं. 47/339 द्वारा 38 हिस्सा भूमि रुपा पुत्र मघा को विक्रय कर दी व उसके नाम से शेष 7 1/2 हिस्सा रह गया। इस प्रकार किशना द्वारा अपनी 45 1/2 हिस्सा भूमि में से 20 हि. व 38 हि. भूमि विक्रय करने के बावजूद भी उसके नाम से 7 1/2 हिस्सा भूमि शेष रही है। **अतः किशना राम पुत्र शम्भू के नाम से दर्ज 0.095 हैक्ट.(7 1/2 हि.) हिस्सा भूमि हटाई जानी उचित है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। जो अन्दर मियाद पेश है।**

7. वादी लैण्ड हौल्डर है एंव राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए रिकार्ड अनुसार वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं।

8. अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 से 14 की मजमेआम में सुनवाई कर चक 23 ओ में **सांवत किशना पि. सावना के स्थान पर सांवत किशना पि. शम्भू किया दुरूस्त किया जाना उचित है। सरदारा, सुखा, नानूराम, रामा पि. सावनाराम 22 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से कब्जा काश्तनुसार किया जाना उचित है। सांवत पुत्र शम्भू 27 हिस्सा के स्थान पर 20 हिस्से कब्जा काश्तनुसार किया जाना उचित है। किशना राम पुत्र शम्भू के नाम से दर्ज 0.095 हैक्ट. (7 1/2 हि.) हिस्सा भूमि हटाई जानी उचित है।** डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत धारा 136एलआर एक्ट के तहत प्रविष्टियों को दरूस्त कर आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलब किया गया। नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी शम्भू राम, हेतराम,अमर नाथ, बीझला, राम प्रताप, प्रहलाद राम, मानाराम, शिवजी राम आदि उपस्थित आये। उपस्थित अप्रार्थीगण को वाद पत्र व रिपोर्ट पटवारी हल्का पढकर सुनाई गई। उपस्थित सभी अप्रार्थीगण के द्वारा वाद पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पर सहमति दी गई। उपस्थित अप्रार्थीगण शम्भू राम, अमरनाथ, हेतराम, बीझला के ब्यान लिखे गये। सभी के द्वारा अपने ब्यानो मे जाहिर किया कि चक 23 ओ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 22 जो अपवादित है हमे वाद पत्र व रिपोर्ट पटवारी पढकर सुनाई गई है जिस पर हम सहमत है। यदि उस खाते को लोक अदालत मे सही किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति एवं ऐतराज नही है।

पैरोकार राज एवं उपस्थित पक्षकार को सुना गया। उपस्थित अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर सहमत है। किसी को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

9. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 22 मे अंकित नाम सांवत किशना पिसरान सावना के स्थान पर सांवत, किशना पिसरान शम्भू राम किये जाने के आदेश दिये जाते है। ई.सं. 43 द्वारा सांवत पुत्र शम्भू ने अपनी 147 हि. में से 120 हि. हिस्सा भूमि सरदारा राम 110 हि. व नानूराम 10 हि. को विक्रय कर दी परन्तु आगामी जमाबन्दीयों में सांवत पुत्र शम्भू के नाम 147 हि. दर्ज रह गई। इस प्रकार सांवत द्वारा 147 हिस्सा में से 120 हिस्सा भूमि विक्रय करने के बावजूद भी उसके नाम से 147 हिस्सा आज भी वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। सांवत पुत्र शम्भू के 147 हिस्से के स्थान पर 27 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। सांवत वल्द शम्भुराम के नाम दर्ज 1.860 हैक्टर भूमि के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

स्टेट बनाम शम्भुराम आदि प्रकरण संख्या 609/2018
अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

10. स्थान पर सावत वल्द शम्भू राम के नाम 0.342 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शम्भु राम पुत्र सावना राम के स्थान पर सरदारा, सुखा, नानुराम, रामा, पिसरान सावना राम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इनका हिस्सा 0.278 है. किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार किशना पुत्र शम्भू राम के नाम दर्ज 0.095 हैक्टर भूमि को इस जमाबंदी से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner